

राजस्थान सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.1(ए)59 पार्ट-7/संस्था/बीमा/2020/

दिनांक : 22.07.2020

—:आदेश:— 138


राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के नियम 41 के अन्तर्गत विभाग में नियमित रूप से चयनित/नियुक्त निम्नांकित कनिष्ठ सहायकों को उनके द्वारा स्थायीकरण हेतु अर्हता पूर्ण किए जाने की दिनांक से कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थायी किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम	नियमित नियुक्ति तिथि	वर्तमान पदस्थापन स्थान	आरएससीआईटी कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण किए जाने की दिनांक	कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने की दिनांक	स्थायीकरण हेतु अर्हता पूर्ण किए जाने की दिनांक	नियुक्ति का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री कुलदीप वर्मा	25.05.2006	अजमेर	लागू नहीं	05.06.2020	05.06.2020	मृतक आश्रित
2	श्री सतीश कुमार पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा	05.02.2013	धौलपुर	21.04.2014	16.03.2020	16.03.2020	मृतक आश्रित
3	श्री मुकेश सिंह पुत्र श्री दौजीराम	01.01.2014	भरतपुर	05.09.2016	16.03.2020	16.03.2020	मृतक आश्रित
4	श्री सर्वेश सारस्वत जोशी म. प.	18.12.2014	चितौडगढ	10.11.2014	18.02.2020	18.02.2020	मृतक आश्रित
5	श्री अजय सिंह	23.12.2016	अजमेर	15.10.2012	09.10.2019	09.10.2019	मृतक आश्रित
6	श्री हिमाशु शर्मा	2017-18	जयपुर शहर	लागू नहीं	लागू नहीं	01.04.2018	वतुर्थ श्रेणी से पदोन्नत
7	श्री अजीत कुमार पुत्र स्व० श्री अनिल कुमार	07.04.2017	मुख्यालय जयपुर	08.04.2013	13.04.2018	07.04.2019	मृतक आश्रित
8	श्री विमल कुमार आचार्य	11.04.2017	बीकानेर सभाग	लागू नहीं	लागू नहीं	11.04.2019	दैनिक वेतन भोगी से नियमित
9	श्री अनुराग सोनी पुत्र स्व० श्री सतीश कुमार सोनी	18.07.2017	मुख्यालय जयपुर	30.06.2019	25.06.2019	18.07.2019	मृतक आश्रित

श्री

क्र.सं.	नाम	नियमित नियुक्ति तिथि	वर्तमान पदस्थापन स्थान	आरएससीआईटी कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण किए जाने की दिनांक	कम्प्यूटर टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने की दिनांक	स्थायीकरण हेतु अर्हता पूर्ण किए जाने की दिनांक	नियुक्ति का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
10	श्री सूर्याश आचार्य पुत्र स्व० श्री दिनेश कुमार आचार्य	15.11.2017	जोधपुर संभाग	02.02.2018	28.02.2019	15.11.2019	मृतक आश्रित
11	श्री जी मोइन अंसारी पुत्र स्व० श्री रज्जब अली अंसारी	07.03.2018	पाली	05.02.2016	25.06.2019	07.03.2020	मृतक आश्रित

निदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।


(के. एम. झुडिया),
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

क्रमांक: एफ.1(ए)59 पार्ट-7/संस्था/बीमा/2019/4271-4299 दिनांक : 22.07.2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, जयपुर संभाग प्रथम, जोधपुर संभाग।
- संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, बीकानेर, पाली, चित्तौडगढ़, जयपुर शहर, धौलपुर।
- सिस्टम एनालिस्ट/उपनिदेशक, सिस्टम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट <http://sipf.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करावें ताकि सम्बन्धित कर्मचारी डाउनलोड कर सकें।
- संबन्धित कर्मचारी।
- वरिष्ठता निर्धारक/केडर स्ट्रेंथ लिपिक।
- रक्षित पत्रावली

20
(रामपाल परसोया)
संयुक्त निदेशक (संस्थापन)